न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22 / 2021 (2021 / 389) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कंकुदेवी पत्नि बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—[illegible] दत्तक पुत्र चम्पालाल [illegible] निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
3—[illegible]लाल आत्मज बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राधा पुत्री बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सीता पुत्री बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण

बनाम

1—जगदीश आत्मज नेनुराम ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
2—धापु पत्नि जगदीश ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नवरतन आत्मज रामेश्वर लाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नाथुलाल आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मदनलाल आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रूपा आत्मज खुमा ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
7—रूपा आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रामी पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लक्ष्मण आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—लादुलाल आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—शान्तिबाई पत्नि रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. लोकेश सिंह — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—29.03.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 738 रकबा 0.79 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.80 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 1.08 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी में ग्राम नान्दशा से उम्मेदपुरा जाने वाली कच्ची सड़क से होकर सड़क के पश्चिम की ओर स्थित विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 की आराजी संख्या 729 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आगे विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 729 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आराजी संख्या 738 में संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करते है। उक्त वर्णित रास्ता करीबन 15 फीट चौड़ाई में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का यही एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई आवागमन करने का रास्ता विद्यमान नही है। विपक्षीगण संख्या1 लगायत 11 के नाम पर उक्त वर्णित आराजियात दर्ज होने से रास्ते को छड़िया डालकर बन्द कर दिया जिससे उक्त रास्ते को बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम प्रार्थीगण की आराजी संख्या 738, 739, 740 में संज बैल बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो विपक्षीगण आराजी संख्या 729 की दक्षिणी पाली पर होते हुए आगे

प्रार्थीगण की आराजी संख्या 738 में प्रवेश करते है स्थित है जो करीब 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे व विपक्षीगण को पांबद कराया जावे कि वे रास्ते को सदैव खुला रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। [illegible] की पालना में विपक्षीगण के अधिवक्ता उपस्थित एवं रास्ते के बदले भूमि देने पर [illegible] पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण में [illegible] रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया [illegible] हेतु ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 729 रकबा 0.73 है0 किस्म पड़त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजी के मध्य मे से प्रार्थी व अन्य व्यक्ति अपने खेतो में आवागमन करते है वर्तमान में मौके पर पगडण्डीनुमा रास्ता बना हुआ है। मौके पर रास्ता खुला हुआ होकर आवागमन हो रहा है रास्ता बन्द नही है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा आराजी संख्या 699 रकबा 2.30 है0 किस्म गै.मु. नाला बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है से होकर आराजी संख्या 702 रकबा 0.73 है0 प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज रेकार्ड है से आवागमन हो सकता है किन्तु वर्षा ऋतु में पानी भरता है एवं एनिकट भी बना हुआ है जिससे आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होती है। वर्तमान में आराजी संख्या 738, 739, 740 में जाने के लिए आराजी संख्या 729 मे से होकर आवागमन किया जा रहा है। आराजी संख्या 729 रकबा 0.73 है0 मे से रास्ते के रूप में 320 वर्गमीटर भूमि रास्ते का रकबा बनता है जिसकी डीएलसी दर से राशि 6227 रूपये बनती है। सलंगन नक्शा ट्रेस को में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थीगण चाहते है तथा वर्तमान मे जो रास्ता है वही प्रस्तावित भी है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो खातेदारी रास्ते से विपक्षीगण की आराजी संख्या 729 के बीच में प्रस्तावित किया गया है जिससे विपक्षी की आराजी संख्या 729 के दो भाग हो रहे है जो उचित नही है आराजी संख्या 729 के उत्तरी भाग आराजी संख्या 731 व 730 के सहारे सहारे रास्ता दिया जाने में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए भूमि के बदले भूमि चाही गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 738, 739, 740 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 729 रकबा 0.73 है0 मे से रकबा 0.02 है0 भूमि (आराजी संख्या 731 व 730 के सहारे सहारे) जो रास्ते के लिये विपक्षी अधिवक्ता की सहमति पर प्रस्तावित है जिसकी डीएससी दर 194596/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 3892/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 7784/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

29.03.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22/2021 (2021/389) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कंकुदेवी पत्नि बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बालु दत्तक पुत्र ... जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
3—भैरूलाल आत्मज बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राधा पुत्री बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सीता पुत्री बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण

बनाम

1—जगदीश आत्मज नेनुराम ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
2—धापु पत्नि जगदीश ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नवरतन आत्मज रामेश्वर लाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नाथुलाल आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मदनलाल आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रूपा आत्मज खुमा ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
7—रूपा आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रामी पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लक्ष्मण आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—लादुलाल आत्मज रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—शान्तिबाई पत्नि रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 738, 739, 740 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 729 रकबा 0.73 है0 मे से रकबा 0.02 है0 भूमि (आराजी संख्या 731 व 730 के सहारे सहारे) जो रास्ते के लिये विपक्षी अधिवक्ता की सहमति पर प्रस्तावित है जिसकी डीएससी दर 194596/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 3892/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 7784/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

29.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा